न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 256 / 2021

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

1. उदयसिंह पुत्र पूनमाराम
2. प्रमिला चौधरी पुत्री उदयसिंह
3. मनु पत्नी हनुमानराम जातियान–जाट निवासी– बायतू भोपजी तहसील बायतू, बाडमेर।

1. जेठाराम पुत्र लालाराम
2. हेमाराम पुत्र सोनाराम
3. जोराराम पुत्र बगताराम
4. चौखाराम पुत्र बगताराम
5. गोरधनराम पुत्र बगताराम
6. राजो पत्नी बगताराम
7. मेथी पत्नी देवाराम
8. विजय पुत्र देवाराम
9. अजय पुत्र देवाराम
10. सुजानाराम पुत्र देवाराम
11. प्यारीदेवी पत्नी लक्ष्मणराम
12. पूनमाराम पुत्र हेमराजराम
13. शिवकुमार पुत्र मांगीलाल
14. विशनाराम पुत्र मगाराम
    सभी निवासीगण– बायतू भोपजी तहसील बायतू, बाडमेर।
15. ग्रम पंचायत बायतू भोपजी
16. तहसीलदार, बायतू जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी बायतू के द्वारा कैम्प कोर्ट बायतू भोपजी में राजस्व प्रार्थनापत्र 198 / 2021 अनवान जेठाराम बनाम हेमाराम वगैराह में दिनांक 02.20.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री के0सी0 चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतू के द्वारा कैम्प कोर्ट बायतू भोपजी में राजस्व प्रार्थनापत्र 198 / 2021 अनवान जेठाराम बनाम हेमाराम वगैराह में दिनांक 02.20.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1238/351 रकबा 0.9465 हैक्टर आई हुई होने तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के खेतों के माठ व सेढा–सेढ आये हुए है जो आंधियों व बरसात की वजह से बिखर गये है जिसके कारण उनके खेतों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। तथा रेस्पो0 अपीलान्टस की कब्जाशुदा खेत का जबरदस्ती से सेढा तोड देते है तथा अधिक भूमि पर काश्त कर लेते है। जिसके प्रार्थी व विप्रार्थीगण के सेढा बाबत तनाजा बना रहता है। जिस कारण उक्त खसरा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाई जावें।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.7.21 को प्रकरण दर्ज किया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया तथा पेशी 4.8.21 रखी गई। नोटिस पुनः प्राप्त न होने पर दिनांक 7.9.21 नियत की गई। लेकिन तामील नहीं होने के कारण तामील इन्तजार होकर दिनांक 2.10.21 नियत की गई। उस दिवस को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस की एक पक्षीय बहस सुनते हुए अपीलान्टस इत्यादि को बिना सुने ही दिनांक 2.01.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 की उक्त खसरा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बायतू को निर्देशित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस को होने पर उनके द्वारा दिनांक 13.12.21 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए उक्त आदेश से व्यथित/क्षूब्ध होकर अपीलान्टस यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाहिरा तौर पर अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करने में औपचारिकता करते हुए नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। अपीलान्टगण के खेत खसरा संख्या 1107, 1108 व 351 की रकबा भूमि रेस्पो0 के खेत खसरान के पास ही स्थित है। न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का माकूल अवसर देकर ही मामले का निस्तारण किया जावें। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया

जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय एवं अपीलान्टस की बिना सुनवाई किये पारित आदेश को निरस्त किया जावे अथवा अपीलान्टस को मामले में सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर उसे जवाब, दस्तावेज व बचाव पक्ष पेश करने का अवसर देने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित करने का आदेश प्रदान करावें।

5. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे अपीलाधीन आदेश में वर्णित रेस्पोडेन्ट संख्या एक की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1238/351 रकबा 0.9465 हैक्टर आई हुई होने तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के खेतों के बीच माठ/सेढो का ज्ञान नहीं होने तथा अपीलान्टस द्वारा उनके खेत का जबरदस्ती से सेढा तोडने व अधिक भूमि पर काश्त कर लिये जाने के आधार पर उक्त खसरा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस के आधार पर ही तथा अन्य रेस्पोडेन्टस/अपीलान्टस की तामीली पूर्ण करवाये बिना ही और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है।

6. अपीलाधीन आदेश का एवं अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 2.10.21 का गहनता से अवलोकन किया जिसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि '' पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतू भोपजी में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।'' अन्त में प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतू को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व होता है कि वे अपने समक्ष प्रस्तुत हुए प्रकरण से सम्बन्धित सभी पक्षकार को प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की दृष्टि से उन सभी का पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक रूप से प्रदान करें। जो अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में कही प्रकट नहीं होता है। ऐसे में हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के पडौसी खातेदारों/अपीलान्टस पक्ष की उपस्थिति में तथा उन्हें जवाब/साक्ष्य दस्तावेज पेश करने समुचित अवसर दिये जाने के

पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बायतू को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बायतू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर